दिनांक 11.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 316/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा लखनऊ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 11.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा लखनऊ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा श्री सुधांशु कुमार शर्मा निवासी ग्राम झुकसा थाना दातागंज जनपद बदायूं, हालपता रघुवाटिका कॉलोनी इटऊआरोड थाना सुभाषनगर जनपद बरेली से विवेचना के निस्तारण के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में होमगार्ड रूम कार्यालय थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर से **1-आरक्षी विवेक कुमार (थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर)** पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम शिवनगर घूँसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर को **35 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई द्वारा मो0 सलमान निवासी ग्राम हलोर सानखपुर थाना महराजगंज जनपद रायबरेली से ट्रान्जिट परमिट हेतु फार्म पर रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री वकील पाण्डेय के नेतृत्व में वन रेंज पछरावा आफिस के सामने से **वन दरोगा संजय यादव (वन क्षेत्र बछरावा) पुत्र** स्व0 महावीर निवासी ग्राम वरूआहार थाना डीह जनपद रायबरेली को **18 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 11.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 317/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना मिलकखानम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.06.2026 को थाना मिलकखानम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीपलीवन मन्दिर, तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फूला उर्फ गुरमीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर एवं उत्तराखण्ड के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलकखानम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फूला उर्फ गुरमीत निवासी ग्राम कलकत्ता थाना गदरपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिअकप वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 10.06.2026 को थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालऊ से बिहारीपुर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की

गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आदिल उर्फ कादिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 पिअकप वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, कमिश्नरेट आगरा, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदिल उर्फ कादिर निवासी मो0कटरा पठानान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 पिअकप वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बिजनौर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2026 को थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसान पथ अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों 1—प्रियाँशू उर्फ दिपान्शू 2—अमन

3–अभियुक्तों के गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.06.2026 को थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रियाँशू उर्फ दिपान्शू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त अमन के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्तों के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिजनौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रियाँशू उर्फ दिपान्शू निवासी ग्राम आदमपुर थाना नगराम कमिश्नरेट लखनऊ।

2–अमन निवासी काजीपुरा थाना को0शहर जनपद बहराइच।

3–अभियुक्तों।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद झाँसी/थाना बरूआसागर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 06 लाख 27 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2026 को थाना बरूआसागर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बारई तिराहा के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त दीपचन्द्र को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 06 लाख 27 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सस्ते दाम पर सोना देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना बरूआसागर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपचन्द्र निवासी भगवन्तपुरा खिरक थाना बम्होरी कला जनपद टिकमगढ़।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 06 लाख 27 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद गाजीपुर/थाना गहमर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना गहमर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमजद खाँ को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–शमशेर 2–अरमान को धारा 302/34/307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कठोर आजीवन कारावास व 22500–22500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–वकील को धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना जाफरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जाफरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ब्रजेश 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जमालुद्दीन को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सिद्धार्थनगर/थाना इटवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवपूजन को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना ललौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना ललौली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–मनीष 2–हिमान्शू उर्फ गोलू को धारा 394/307/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–रंजीत को धारा 394/307/411 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————